उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

आर0एम0आर0 सं0– 01/2012–13

बाबुलाल कुँवर .....आवेदक

बनाम

रामेश्वर राउत एवं अन्य ..... विपक्षी

।। आदेश ।।

13/05/2016 यह आर0एम0आर0 सं0– 01/2012–13 बाबुलाल कुँवर बनाम् रामेश्वर राउत एवं अन्य, मौजा फुलजोड़ा, अंचल रामगढ़ के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के एस0आर0 वाद सं0– 112/2001–02 में पारित आदेश दिनांक 23.08.2011 के विरूद्ध दायर किया गया है।

सुनवाई के दौरान किसी भी पक्ष की ओर से पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के आधार पर आदेश पारित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अभिलेख में अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा मौजा फुलजोड़ा के दाग सं0 826 रकवा 0.60 डीसमल जमींन जो गत सर्वे सेटेलमेंट में परती कदीम बोलकर दर्ज है, को बाड़ी–। के रूप में खंडित कर जोत आबाद किया जा रहा है। उन्होंने उक्त जमींन की बन्दोबस्ती हेतु निम्न न्यायालय में आवेदन दाखिल किया गया। इस पर अंचल अधिकारी, रामगढ़ द्वारा भी बन्दोबस्ती का प्रस्ताव दिया गया किन्तु आवेदक कालाजार बीमारी का ईलाज हेतु भागलपुर अस्पताल में भर्ती रहने के कारण न्यायालय में सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं हो पाये। फलतः उनके आवेदन को संचित कर दिया गया है। उन्होंने निम्न न्यायायल द्वारा पारित आदेश को विलोपित करते हुए वाद को पुनर्विचार हेतु निम्न न्यायालय में प्रतिप्रेषित करने हेतु अनुरोध किया है।

निम्न न्यायालय के अभिलेख के आदेश फलक के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक लगातार कई तिथियों से न्यायालय में अनुपस्थित है। फलतः अभिरूचि के आभाव में वाद को अस्त किया गया है। किन्तु अभिलेख में उपलब्ध अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत दाग आवेदक के जमाबन्दी दाग सं0 845 एवं 846 से सटा हुआ है। आवेदक के हिस्से में मात्र 0.52 डीसमल जमींन होने का प्रतिवेदन में उल्लेख है। साथ ही यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत जमींन को आवेदक द्वारा खंडित कर बाड़ी–। के रूप में परिवर्त्तित किया गया है एवं दखल किया जा रहा है। उन्होंने प्रतिवेदन में उक्त जमींन को आवेदक के साथ बन्दोबस्ती करने का अनुशंसा किया है।

ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विलोपित करते हुए वाद को अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका को पुनर्विचार हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित ।

Rahul

उपायुक्त
दुमका।

Rahul

उपायुक्त
दुमका।